न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 87 / 2018
जीसीएमएस नम्बर :: 2018 / 00159

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी:–
सरकार जरिये तहसीलदार, (भूमिधारी) रोहट जिला पाली		राणाराम पुत्र जीवाराम भाट निवासी इन्द्रोका की ढाणी तहसील रोहट जिला पाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– सरकारी पैरोकार उपस्थित सुरेन्द्र सिंह लबाना
एवं अधिवक्ता अप्रार्थी श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित

–:: आदेश ::–

दिनांकः– 7-1-21

तहसीलदार रोहट द्वारा यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी बी सिविल रिट याचिका संख्या 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। एवं बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी की खसरा नम्बर 958 में खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबंदी संवत 2071–74 से उक्त भूमी पूर्व में मिसल बन्दोबस्त संवत 2016 में गैर मुमकीन नाडा दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन उपखण्ड अधिकारी पाली के आदेश क्रमांक 634 दिनांक 19.06.1975 की पालना में नहरी–I दर्ज कर दिया जो नकल जमाबंदी संवत 2071–74 से स्पष्ट है। उक्त जैर प्रार्थना पत्र दिनाँक 01.05.1975 को गिरधारी पुत्र स्वरूप दरोगा साकिन इन्द्रोका की ढाणी को आवंटन कि गई जिसने आगे पंजीकृत बेचान के दिनाँक 19.06.1996 को हस्तांतरित कर दिया। सेटलमेंट पूर्व उक्त भूमी खसरा नम्बर 958 रकबा 3 बीघा मिसल बन्दोबस्त में गैर मुमकिन नाडा दर्ज थी तथा उक्त भूमी की किस्म बदल कर नहरी–I कर दिया। उक्त भूमी की किस्म गैर मुमकीन नाडा होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमी की श्रेणी में होने से इसकी किस्म बदल कर इसका आवंटन नियमन किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जिसे निरस्त कर पुनः पूर्व अवस्था में दर्ज कराने एवं माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 1536 / 03 में दिए गए निर्देशों की पालना में संवत 2004 की स्थिति बहाल कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि सर्वप्रथम डीबी सिविल रिट याचिका में दिए गए निर्देशों के अनुरूप सन् 1947 की स्थिति बहाल की जानी है लेकिन पत्रावली पर सन् 1947 में किस्म एवं स्थिति क्या थी रेकर्ड पर स्थिति स्पष्ट नहीं है न ही इसके साक्ष्य सबूत ही है। भूमी वक्त आवंटन ही नहरी–I दर्ज थी एवं गिरधारी पुत्र स्वरूप को दिनाँक 01.05.1975 को आवंटन की गई [illegible] नहीं बनाया गया है जबकि आवंटी को पक्षकार बनाया जाना आज्ञापक [illegible] इस प्रार्थना पत्र में क्रेता को ही पक्षकार बनाया गया [illegible] मौके पर नाडा नहीं है भूमी मौका रिपोर्ट [illegible] मेहनत कर धनराशि खर्च कर उसे काबिल काश्त बनाया है। तथा मौके पर नाडा / नाला / [illegible] है। कही भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है [illegible]वा इस बात का साक्ष्य [illegible] में नहीं है आवंटी को जहां 3 बीघा भूमी का आवंटन हुआ है वहां नाडा था अथवा उसके पानी में रूकावट पैदा हुई है। न ही वहा खनन कार्य हुआ है। किसी प्रकार का निर्माण भी नहीं हुआ ऐसी स्थिति में RRD 2011 के पेज 756 में अभिनिर्धारित अनुसार उपरोक्त मामलों में अब्दुल रहमान बनाम सरकार के जारी निर्देश लागू नहीं होते है। एवं रेफरेन्स नहीं किया जा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:43:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

उभय पक्ष की बहस को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में मूल आवंटी गिरधारी पुत्र स्वरूप दरोगा साकिन इन्द्रोका की ढाणी है जिसको खसरा नम्बर 958 में 3 बीघा नहरी–I भूमी का आवंटन किया गया था जिसे पक्षकार ही नियोजित नहीं किया गया है जबकि आवंटी के पक्षकार नियोजित किया जाना आज्ञापक प्रावधान है। इस कारण प्रार्थना पत्र त्रुटिपूर्ण पेश किया गया है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डीबी सिविल रिट याचिका 1536/04 अनुसार आवंटित भूमी एवं रेकर्ड की सन 1947 की स्थिति बाबत रेकर्ड अथवा किसी प्रकार का साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त रिट याचिका संख्या 1536/04 की पालनार्थ सन् 1947 की स्थिति बहाली की जानी भी संभव नहीं हो सकती है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्यविहीन व तथ्यों से परे होने के कारण तहसीलदार रोहट को पुनः प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आवंटी गिरधारी को पक्षकार नियोजित करते हुए जैर प्रार्थना पत्र आराजी की सन् 1947 में राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति बाबत रेकर्ड प्रस्तुत करते हुए 1 माह की अवधी में पुनः रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनाँक 7-1-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:43:56 IST
Reason: SelfAttested